भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1258

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा

†1258. **श्री विजय कुमार हाँसदाक:**
डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सीखने और सफल होने के समान अवसर सुनिश्चित करके सभी दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं:
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) समावेशी वातावरण बनाने, बाधाओं को दूर करने और विविध शिक्षार्थियों के लिए भौतिक पहुँच, डिजिटल पहुँच और पाठ्यक्रम समायोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने दिव्यांग बच्चों और विशिष्ट बच्चों के नियमित स्कूल में प्रवेश के लिए कोई नीति बनाई है;
(ङ.) क्या सरकार के पास दिव्यांग बच्चों और विशिष्ट बच्चों को विशेष स्कूलों में शिक्षित करने की कोई योजना है; और
(च) क्या सरकार ने छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा के संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) जिसमें दिव्यांग बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एससी/एसटी समूह शामिल हैं सहित सभी बच्चों के लिए समान अधिगम अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह नीति दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के तहत चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कवर करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप है। पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक सभी के लिए स्कूली शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच

सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रही है और इस योजना के तहत सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो एसईडीजी से संबंधित बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेगुआ) योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत एसईडीजी के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को 25% सीटें प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, सरकार कक्षा 9 से 12 तक उन बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना भी प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है ताकि एसईडीजी के बच्चे माध्यमिक स्तर तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें।

(ग): भारत सरकार ने, केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से, स्कूलों में समावेशी परिवेश बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिनमें भौतिक और डिजिटल बाधाएं दूर करना, पहुंच सुनिश्चित करना, तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) सहित विविध शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम समायोजन को सक्षम बनाना शामिल है।

वास्तविक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों को बाधा-रहित अवसंरचना जैसे कि रैम्प, हैंडरेल युक्त रैम्प, सीडब्ल्यूएसएन के लिए सुलभ शौचालय, तथा गतिशीलता और स्कूल तक पहुंच हेतु परिवहन या मार्गरक्षण सुविधाओं के प्रावधान से सुसज्जित किया जा रहा है। एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सुगम्यता संहिता को अधिसूचित किया गया है, जो सुगम्य विद्यालयी अवसंरचना हेतु राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है, जिसमें रास्ते, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कक्षाएं और आईसीटी संसाधन शामिल हैं। डिजिटल सुलभता के क्षेत्र में, समावेशी सामग्री तैयार की जा रही है, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग (यूडीएल) के सिद्धांतों के अनुरूप है। एनसीईआरटी का दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म व्यापक श्रेणी की सुलभ ई-सामग्री उपलब्ध कराता है, जैसे कि भारतीय सांकेतिक भाषा में श्रव्य-दृश्य सामग्री, स्थानीय भाषाओं में क्षेत्र-विशिष्ट संसाधन, और विभिन्न विषयों के अनुसार सामग्री – जिससे विविध प्रकार की

अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नियमित रूप से स्कूल न जा पाने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) व्यवहार्य, दूरस्थ शिक्षा आधारित विकल्प प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम समायोजन में सहायता के लिए, समग्र शिक्षा दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली सामग्री और सहायक उपकरण उपलब्ध कराती है। स्कूल और ब्लॉक स्तर पर तैनात विशेष शिक्षक प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा योजना (आईईपी) तैयार करते हैं। परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय, लेखकों का उपयोग, विषयों का चयन, तथा पाठक सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-2023) बहुभाषावाद और बुनियादी स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा/मातृभाषा के उपयोग पर बल देती है, जिससे समावेशी शिक्षाशास्त्र को प्रोत्साहन मिलता है और विविध भाषाई पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों की समझ बेहतर होती है।

(घ) और (ङ): एनईपी 2020 में दिव्यांग बच्चों को मूलभूतभूत स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने की सिफारिश की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, स्कूलों में विभिन्न सुलभ और समावेशी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि दिव्यांग बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सशक्त बनाया जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। इन प्रयासों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने साथियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने तथा स्कूल जीवन के सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।

(च): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीईआरटी के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, देश भर में छात्रों के अधिगम स्तर का व्यापक मूल्यांकन करने का कार्य करता है। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों की मौलिक दक्षताओं का मूल्यांकन किया गया।

इसमें 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। अधिगम परिणामों के साथ-साथ, इस सर्वेक्षण में देशभर में छात्रों के अधिगम परिवेश और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए शिक्षक प्रश्नावली (टीक्यू), विद्यालय प्रश्नावली (एसक्यू) और छात्र प्रश्नावली (पीक्यू) के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी भी एकत्र की गई।

इसके राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।
